आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

06/12/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-04/2021-2022

परना उराँव,..... आवेदक।

बनाम

(1) शिबू महतो,
(2) आनन्द महतो,
(3) रामदेव महतो, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक परना उराँव, पिता–स्व० बुधु उराँव जाति–उराँव, निवास ग्राम–बोड़ेया, थाना–काँके, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षीगण (1) शिबू महतो, (2) आनन्द महतो, (3) रामदेव महतो, सभी के पिता–हरख महतो, सभी निवासी ग्राम–बोड़ेया नियर हनुमान मंदिर, थाना–काँके, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
बोड़ेया	185	459	1050	40 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में लोहरा उराँव वो मरेआ उराँव पेशरान वेलहा उराँव वो चइता उराँव वो एतवा उराँव पेशरान शुकरा उराँव, वो बंधन उराँव वो अकलु उराँव वो बुधु उराँव पेशरान परना उराँव वो कुंवर उराँव, वल्द जेना उराँव के नाम से दर्ज है।

06/12/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, काँके राँची के पत्रांकः–619(ii) दिनांकः–06.07.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 08 में दखलकार आनन्द महतो वो शिबू महतो वो रामदेव महतो हैं, जो लगभग 20–25 वर्षों से कच्चा पक्का मकान बना कर रह रहे हैं।

आवेदक अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वर्णित खतियान लोहरा उराँव वो मरेआ उराँव पेशरान वेलहा उराँव वो चइता उराँव वो एतवा उराँव पेशरान शुकरा उराँव, वो बंधन उराँव वो अकलु उराँव वो बुधु उराँव पेशरान परना उराँव वो कुंवर उराँव, वल्द जेना उराँव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत परना उराँव अपने पीछे तीन पुत्र बंधन उराँव, वो अकलु उराँव, वो बुधु उराँव को छोड़ गये। बुधु उराँव अपने पीछे परना उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक परना उराँव खतियानी रैयत के वंशज हैं। आवेदक का कहना है कि विपक्षीगण वर्णित भूमि को उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही जमीन पर जबरन दखल कब्जा कर लिए हैं, जबकि आवेदक द्वारा जमीन को कभी भी नहीं बेचा गया है। आवेदक की ओर से तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह संख्या–01 असवनी टोप्पो, पिता–सुकरा उराँव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपने ब्यान में कहते हैं कि वर्णित भूमि पर शिबू महतो, आनन्द महतो, रामदेव महतो, ने गलत तरीके से कब्जा कर लिए हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि अवध नारायण तिवारी भूमि को रजिस्ट्री पट्टा से बेचे हैं, जिसकी हमलोग को कोई जानकारी नहीं है। गवाह संख्या–02 विश्वकर्मा पाहन, पिता–स्व० गंगा पाहन को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपने गवाह में कहते हैं कि 10–12 वर्षों से विपक्षीगण कच्चा–पक्का मकान बना कर रहे हैं। गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि अवध नारायण तिवारी से रजिस्ट्री पट्टा के माध्यम से इस्तीफा हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

कृ०पृ०उल्टे

विपक्षीगण कुछ जमीन पर पक्का मकान बनाकर रहते एवं कुछ जमीन पर खेती करते हैं। गवाह संख्या–03 आवेदक स्वंय परना उराँव, पिता–स्व॰ बुधु उराँव, हैं। अपने गवाही में कहते हैं कि यह वाद जमीन वापसी के लिए लाया गया है, जिसे विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। विपक्षीगण कच्चा–पक्का मकान बना कर रह रहे हैं। आवेदक की ओर से खतियान की छाया प्रति तथा अंचल रसीद भी दाखिल किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। जिसमें कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, तथा धारा–46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह वाद काल–बाधित भी है। वर्णित भूमि मरेया उराँव, चइता उराँव, एतवा उराँव, बुधवा उराँव द्वारा दिनांकः–29.04.1946 ई० में जमींदार अवध नारायण तिवारी को निबंधित पट्टा के माध्यम से इस्तीफानामा कर दिये हैं, जिसका पट्टा संख्या–2805 है तत्पश्चात अवध नारायण तिवारी के बेटे धनंजय नारायण तिवारी ने दुखु महतो, हरख महतो, को वर्णित भूमि को निबंधित पट्टा से बेच दिए हैं, जिसका पट्टा संख्या–1353 वर्ष 1948 है। उसके बाद से दखल कब्जा के साथ विपक्षीगण रह रहे हैं। विपक्षीगण की ओर से चार गवाह पस्तुत किया गया। गवाह संख्या–01 शिबू महतो, पिता–स्व० हरख महंतो, गवाह संख्या–02 रामा शंकर कुमार, पिता–स्व० रमेश महतो, गवाह संख्या–03 हरि साहु, पिता–स्व० जगरनाथ साहू, गवाह संख्या–04 रामदेव महतो, पिता–स्व० हरख महतो हैं। सभी गवाहों का विपक्षीगण के पक्ष में कहना है कि विपक्षीगण घर–मकान बनाकर रह रहें हैं, जो कि लगभग 70 वर्ष हो चुका है। विपक्षीगण की ओर से निम्नलिखित कागज दाखिल किया गया है। Exhibit-A इस्तीफानामा का पट्टा संख्या–2805, Exhibit-B, निबंधित पट्टा नं०–1353 है। Exhibit-C और C-1 से C-15 अंचल रसीद है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, बहस में कहते हैं कि खाता सं०–459, प्लॉट नं०–750, कुल रकबा–40 डी०, मौजा–बोड़ेया पर विपक्षीगण 10–12 वर्षो से 20 डीसमिल जमीन

6/12/24

कृ०पृ०उल्टे

पर कच्चा मकान बनाकर रह रहें है तथा 20 डीसमिल पर खेती बाड़ी कर रहें हैं। आवेदक के पूर्वज का नाम खतियान में लोहरा उराँव, मरेया उराँव, पेशरान बेलहा उराँव वो चइता उराँव वो एतवा उराँव पेशरान सुकरा उराँव दर्ज है, तथा अंचल में लोहरा उराँव के नाम पर पंजी–02 में द़र्ज है। आगे कहते है कि विपक्षीगण न्यायालय में दाखिल–खारिज से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किये हैं, तथा पंजी–02 का ऑनलाईन रसीद भी दाखिल नहीं किये है, अतः आवेदक को वर्णित जमीन वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया, साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया। बहस् में कहते हैं कि आवेदक द्वारा जो यह वाद लाया गया है वह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है तथा धारा 46 का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। खतियानी रैयत मरेया उराँव, चइता उराँव, एतवा उराँव एवं बुधुवा उराँव ने दिनांक–29.04.1946 ई० में, जमींदार अवध नारायण तिवारी के पक्ष में निबंधित इस्तीफानामा लिए है, जिसका डीड नं–2805 है। इसके पश्चात् अवध नारायण तिवारी के पुत्र धनंजय नारायण तिवारी दखल–कब्जा के साथ रहने लगे तथा दिनांक–17.02.1948 ई० को दुखन महतो एवं हरख महतो को वर्णित भूमि को निबंधित पट्टा से बेच दिए, जिसका पट्टा सं०–1353 है। इसके बाद दुखन महतो एवं हरख मंहतो दखल–कब्जा के साथ एस्बेस्टेस शीट का मकान बनाकर 1948 से रह रहें हैं, जो कि लगभग 75 वर्ष हो चुका है। चूँकि यह वाद 75 वर्ष बाद लाया गया है, इसलिए काल्–बाधित है। आवेदक का 1946 से आजतक दखल–कब्जा नहीं है। विपक्षीगण की ओर से जजमेंट की प्रति दाखिल किया गया है

"Situ Sahu And Others vs The State of Jharkhand And Others On 10 September, 2004". Supreme Court of India

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनने और कागजातों के अवलोकन से यह निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रश्नगत् भूमि का 1946 ई० में निबंधित इस्तीफा हुआ, तथा 1948 ई० विपक्षीगण के वंशज दुखन महतो एवं हरख महतो के

Mi... 6/12/24

पक्ष में बिक्रीनामा निबंधित पट्टा हुआ। वर्णित जमीन पर विपक्षीगण का 70 वर्षो से दखल–कब्जा है, तथा अंचल रसीद कट रहा है। यह वाद तीस वर्षो बाद लाया गया है, अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है, तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

6/12/24
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.02.05 14:57:10 +05:30
Location: 192.168.155.39